

50



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

मु. गिरणी/शिवपुरी/भू-रा/2017/2373
पुनरीक्षण प्रकरण क्र. 2017

श्री. विनोद भागवत
द्वारा आज दि. 25-7-17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. सीताराम,
2. रामदास पुत्रगण श्री ललनजू लोधी
निवासी- ग्राम बडोरा तहसील करैरा जिला
शिवपुरी (म.प्र.)

--आवेदकगण

विरुद्ध

1. अजबसिंह पुत्र श्री भैया लाल लोधी,
2. पवन कुमार पुत्र श्री भैया लाल लोधी,
3. भैयालाल पुत्र श्री वैजनाथ,
4. भवानी सिंह पुत्र श्री अमर सिंह,
5. अमर सिंह पुत्र श्री वैजनाथ,
6. विक्रमसिंह पुत्र श्री वैजनाथ लोधी,
7. बालकृष्ण पुत्र श्री वैजनाथ लोधी,
निवासीगण- ग्राम बडोरा तहसील करैरा
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

---असल अनावेदकगण

8. लखन पुत्र श्री सीताराम लोधी, निवासी-
ग्राम बडोरा तहसील करैरा जिला
शिवपुरी(म.प्र.)

--तरतीवी/अनावेदक

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील करैरा,
जिला शिवपुरी म.प्र., द्वारा प्रकरण क्रमांक
77/2016-17/अ-27 में की गयी कार्यवाही एवं
पारित दिनांक 18/07/2017 सहपठित आदेश दिनांक
13/07/2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता,
1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,


आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:

1. यहकि, ग्राम बडोरा तहसील करैरा जिला शिवपुरी में स्थित भूमि सर्वे क्र.
1418 रकबा 0.11 हे., 1422 रकबा 0.42 हे., 1424 रकबा 0.04
हे., 1425 रकबा 0.14 हे. एवं 1427 रकबा 0.36 हे. कुल किता 5
कुल रकबा 1.070 हे. में से आवेदकगण हिस्सानुसार 1/2 भाग एवं
अनावेदक क्र. 8 का हिस्सानुसार 1/12 एवं अनावेदक क्र. 1 लगायत

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
प्रकरण क्रमांक-एक/निग./शिवपुरी/भू.रा./2017/2373
सीताराम आदि विरुद्ध अजब सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/8/19	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार करैरा, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक-77/2016-17/अ-27 में पारित आदेश दिनांक 18/07/17 विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 06/8/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p style="text-align: center;"> (आर०के० जैन) सदस्य</p> <p style="text-align: right;">17/8/19</p>